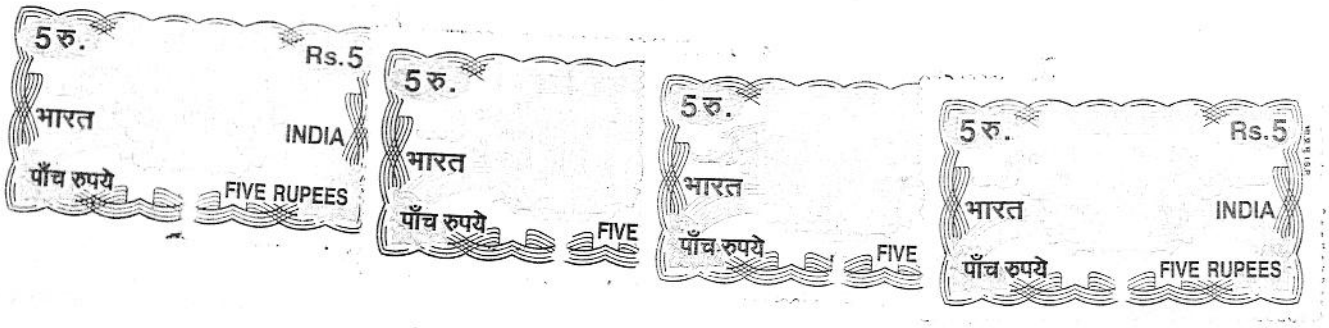

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 रिव्यू निग-4113-PBR-15

दिनांक 28.12.15 को श्री एस.एच.-कर. शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।

28.12.15
SO

1– देवीलाल पुत्र स्वं. जगन्नाथ

2– पूरन पुत्र स्वं. जगन्नाथ

3– मोहनलाल पुत्र स्वं. जगन्नाथ

निवासीगण– ज्वालापुरा, लक्ष्मीबाई कॉलोनी;

जिला ग्वालियर (म.प्र.) ————आवेदकगण

बनाम

1– दक्खो पाठक पत्नी स्वं. महेशचन्द्र पाठक

2–	रोहित	पुत्र एंव पुत्रीगण स्वं. महेशचन्द्र पाठक
3–	रवि उर्फ रितु	
4–	आरती	
5–	तृप्ति	
6–	सोनम	

निवासीगण– ज्वालापुरा, लक्ष्मीबाई कॉलोनी,

जिला ग्वालियर (म.प्र.) ————अनावेदकगण

<u>पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा– 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 3.12.2015 पारित द्वारा अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्र.क. **R–3862–P.B.R /2015**</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 4113–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–1–2016	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3–12–2015 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हैं । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	